सं. 14028/3/2008-स्था.(छुट्टी)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 16 नवंबर, 2009

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में छुट्टी के नकदीकरण के बारे में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें ।

.....

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 25 सितंबर, 2008 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ देने का निदेश हुआ है जिसके अनुसार केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में छुट्टी के नकदीकरण पर 300 दिन की समग्र सीमा के अध्यधीन अर्जित छुट्टी और अर्द्ध वेतन छुट्टी दोनों के लिए विचार किया जाएगा और अर्द्ध वेतन छुट्टी के नकदीकरण के मामले में अन्य पेंशन और अन्य सेवानिवृत्त प्रसुविधाओं के पेंशन तुल्य में कोई कटौती नहीं की जाएगी । अर्जित छुट्टी में कमी पड़ने के मामले में अर्द्ध वेतन छुट्टी का कोई भी संराशीकरण अनुमत्य नहीं है । यह आदेश 1 सितंबर, 2009 से प्रभावी बनाया गया था । इस मामले पर व्यय विभाग(कार्यान्वयन प्रकोष्ठ) के परामर्श से इस विभाग में विचार किया गया और निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन इस विभाग के दिनांक 25 सितंबर, 2008 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन को प्रभावी बनाने की तिथि को संशोधित करके 1.9.2009 की बजाए 1.1.2006 करने का निर्णय किया गया है :-

(i) यह लाभ संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा संबंधित पेंशनभोगी से उस आशय के आवेदन प्राप्त होने के पश्चात पिछले मामलों के संबंध में अनुज्ञेय होगा ।

(ii) सेवा निवृत्त हुए ऐसे कार्मिकों जिन्होने अपनी सेवा निवृति की तारीख को अपने खाते में जमा अधिकतम 300 दिन की अर्जित छुट्टी अर्द्ध वेतन छुट्टी का नकदीकरण सहित प्राप्त कर ली हो, उनके मामले दोबारा नहीं खोले जाएंगे । तथापि, ऐसे मामले जिनमें छुट्टियों की संख्या 300 की अधिकतम सीमा से कम थी, वही खोले जा सकते हैं ।

(iii) खाते में जमा अर्द्ध वेतन छुट्टी के संबंध रोकड़ तुल्य की गणना इस विभाग के दिनांक 25.9.2008 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन में दिए गए तरीके के अनुसार यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित की जाएगी ।

2. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, यह कार्यालय ज्ञापन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सहमति से जारी किया जाता है ।

जोया सी.बी.

(ज़ोया सी.बी.)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

फा.सं. 14028/3/2008-स्थापना(छुट्टी) दिनांक 16 नवंबर, 2009

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित :

1. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय ।
2. महालेखा नियंत्रक का कार्यालय, वित्त मंत्रालय ।
3. संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग के सचिव ।
4. सभी राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र ।
5. सभी राज्यों के राज्यपाल/सभी संघ राज्य क्षेत्रों के उप राज्यपाल ।
6. सचिव, राष्ट्रीय परिषद् जेसीएम (कर्मचारी पक्ष) 13 सी, फिरोजशाह रोड़, नई दिल्ली ।
7. जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद्/विभागीय परिषद् के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य ।
8. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/प्रशासिनक सुधार और लोक शिकायत विभाग/पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग/लोक उद्यम चयन बोर्ड के सभी अधिकारी और अनुभाग ।
9. वित्त मंत्रालय व्यय विभाग, नॉर्थ ब्लाक, नई दिल्ली ।
10. व्यय विभाग(कार्यान्वयन प्रकोष्ठ), नॉर्थ ब्लाक, नई दिल्ली ।
11. राजभाषा स्कंध विधायी विभाग, भगवान दास रोड, नई दिल्ली ।
12. रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली ।
13. एनआईसी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को इस अनुरोध के साथ कि वे इस कार्यालय ज्ञापन को अपनी वेबसाइट पर डाल दें ।
14. अितरिक्त प्रतियां 50

जोया सी.बी.

(जोया सी.बी.)

भारत सरकार के अवर सचिव